

RCMS 2019/00 250

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना


प्रार्थी:- मूलचन्द पुत्र पाबूदान, जाति-ब्राह्मण, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण:- रामनिवास पुत्र पाबूदान, जाति-ब्राह्मण, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act.

संख्या...81 ...सन्-.....2019....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
07.08.2019	<p>प्रार्थी मूलचन्द पुत्र पाबूदान, जाति-ब्राह्मण, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण रामनिवास पुत्र पाबूदान, जाति-ब्राह्मण, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक, वाकै सरहद छोटीखाटू के खसरा नम्बर 1345 की भूमि के विशेष हिस्से का विधिवत् बन्तवारा नहीं होने तक बैचाण, हस्तान्तरण नहीं किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.08.2019 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>26/8/19 पत्रावली पेश हुई। मिसल B.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। ... पत्रावली हैं, मिसल दिनांक 3/9/19 को पेश हो।</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-------------------------------------	---

30/8/24

पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 8/11/24 को पेश हो। 2

8/11/2024

पत्रावली पेश हुई।
वकील श्री उपायुक्त ।

मूल वार सेम्बा 29 / 2006 कठुवात रामनिवास बनाम
मूल पन्ड कोरु दिनांक 25-10-2024 को निर्णय देने के
कारण इस अपील पर का कोर्ट कोर्टिले नहीं रह जाय है/कर।
मूल वार के निर्णय देने से हस्तगत अपील पर खारिज दिया
जाय है। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली करने के बाद से कप सेट 29 मूल वार के निर्णय सुनाया गया।

Wras
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना